न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र भूतगांव

रा.प्रा.पत्र सं.138/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये तहसीलदार,सिरोही		श्री भंवरसिंह,मनसिंह,गणपतसिंह,पि.कल्याणसिंह मूलसिंह,भगवतसिंह पि.धरमसिंह,अशोककुंवर, चम्पतकुंवर पुत्रियों धरमसिंह,सोमूकुवर पत्नि धरमसिंह 1/4,भीखसिंह,उमसिंह,सोबसिंह पि. शिवनाथसिंह 3/4 जाति राजपूत नि.भूतगांव तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–

प्रार्थी सरकार जरिये स्वंय तहसीलदार,सिरोही
अप्रार्थी मनसिंह,परबतसिंह व सोबसिंह

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत

निर्णय दिनांक 11–5–2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार,सिरोही ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राज. काश्त.अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी बाबत कृषि भूमि को रूपान्तकरण करवाये बिना अकृषि उपयोग करने का इस न्यायालय मे दिनांक 14–7–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा भूतगांव के जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता नंबर 111 खसरा नंबर 184 रकबा 0.8100 हेक्टेयर किस्म चाही 2 अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि आई हुई है।। उक्त खसरा नंबर 814 रकबा 0.8100 हेक्टेयर मेसे 2184 वर्गमीटर भूमि पर पक्के मकान निर्माण कर आवासीय रूपान्तरण करवाये बिना कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग किया जा रहा है। जमाबंदी,नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द दिनांक 24–5–2017 मूल ही संलग्न है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नंबर 814 रकबा 0.8100 हेक्टेयर मेसे 2184 वर्गमीटर भूमि पर पक्के मकान निर्माण कर आवासीय रूपान्तरण करवाये बिना कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग कर अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त आराजी सरकार के खाते मे दर्ज करने के आदेश प्रसारित करवाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता नंबर 111 खसरा नंबर 184 रकबा 0.8100 हेक्टेयर किस्म चाही 2 पटवारी हल्का भूतगांव की मौका फर्द दिनांक 24–6–2017 ,नक्शा किश्तवार,का अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दि 14–7–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थीया को उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 15–9–2017 को दौराने सुनवाई अप्राथीगण भीखसिह ,उमसिंह मनसिंह गणपतसिंह पि. कल्याणसिंह,अशोककुंवर,चम्पतकुंवर पुत्री धरमसिंह मूलसिंह भगवतसिंह पि.धरमसिंह के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । तथ।ाा प्रतिवादीगण स्वंय ने भी दौराने सुनवाई हाजिर होकर जरिये वकील जवाबदावा पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया । दिनांक 7–11–2017 को सुनवाई के दौरान उक्त अप्रार्थीगण की ओर से वकील

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

श्री भेरूपालसिंह ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । विचारण प्रकरण की पत्रावली वास्ते जवाब इस न्यायालय मे आगामी पेशी दिनांक 11–12–2017 को रखी गई । दिनांक 11–12–2017 व 9–1–2018 को हम कानून व्यवस्था डियूटी मे व्यस्त व दि 9–2–2018 को रेवेन्यु बोर्ड की विडियों कोन्फेन्सिंग की वी.सी. मे व्यस्त व दि 16–2–2018 को राजस्व व अन्य कार्य से भ्रमण तथा दि 16–3–2018 को बार एसोसियेशन सिरोही द्वारा मृतक वकील पवनसिंह का कण्डोलेन्स रखने से पत्रावली ईल्तबा की जाकर गत आदेशानुसार अप्रार्थीगण के जवाब मे दिनांक 20–4–2018 को न्यायालय मे रखी गई । जिस पर न्यायालय द्वारा वकील अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु समय देते हुये यह पत्रावली वास्ते जवाब राजस्व लोक अदालत केम्प भूतगांव मे रखी गई ।

राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से विचारण प्रकरण की यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र भूतगांव मे आज दिनांक 9–5–2017 को मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण मनसिंह/परबसिंह/व सोबसिंह ने हाजिर होकर संयुक्त रूप से जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी तहसीलदार /सिरोही ने मौजा भूतागांव के खाता नंबर 111 खसरा नंबर 184 रकबा 0.8100 हेक्टेयर मेसे 2184 वर्गमीटर कृषि भूमि को बिना आवासीय रूपान्तरण करवाये कृषि भूमि का अकृषि मे आवासीय उपयोग अप्रार्थीगण द्वारा करना है। इस सम्बन्ध मे निवेदन है कि उक्त अकृषि प्रयोजनार्थ 2184 वर्गमीटर भूमि मे जो पुराने मकान करीबन 50 साल से बने हुये है तथा एक शराब की दूकान जिसके टीन सेड से ढकी हुई है उक्त अकृषि भूमि का नियमानुसार आवासीय रूपान्तरण की पत्रावली तैयार करवाकर एक माह मे तहसीलदार/सिरोही को प्रस्तुत कर देंगे तथा उक्त अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि से शराब की दूकान दस दिन मे हटा देंगे । अतः कृप्या कर उक्त अकृषि उपयोग मे ली जाने की भूमि का रूपान्तरण एक माह मे कराने की अनुमति न्यायहित मे प्रदान करवाने का कष्ट करावें । अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि मे नही होने से इस पर विचार किया जाना संभव नही है तथा आगे जवाब हेतु समय दिया जाना उचित नही होने से अप्रार्थीगण का जवाब बंद करने के आदेश दिये गये । आज दिनांक 11–5–2018 को ही विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जमाबदी संवत 2073 से 2076 के खाता नंबर 111 खसरा नंबर 184 रकबा 0. 8100 हेक्टेयर का मौका जांच करने पर पाया कि उक्त खसरा नंबर 814 रकबा 0.8100 हेक्टेयर मेसे 2184 वर्गमीटर भूमि पर पक्के मकान निर्माण कर आवासीय रूपान्तरण करवाये बिना कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग किया जा रहा है तथा उक्त अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि मे शराब विक्रय की दूकान भी चालु होना पाया है।

विचारण प्रकरण मे प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही व अप्रार्थीगण द्वारा सीधे अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली प्रार्थनापत्र व जवाब अप्रार्थीगण व जमाबंदी/नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द दिनांक 24–5–2017 मूल ही संलग्न है का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । प्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही व अप्रार्थीगण की बहस पर भी गहनतापूर्वक मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नंबर 814 रकबा 0.8100 हेक्टेयर मेसे 2184 वर्गमीटर भूमि पर पक्के मकान निर्माण कर आवासीय रूपान्तरण करवाये बिना कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग किया जा रहा है तथा उक्त अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि मे शराब विक्रय की दूकान भी चालु होना पाया है। गत वर्ष के रा.लो.अ. के भूतगांव केम्प मे इसी भूमि व इन्ही पक्षकारो का प्रकरण अ.धा. 177 आर.टी.एक्ट का सामने आया था जिसको अप्रार्थीगण द्वारा शीघ्र आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण कराने के आश्वासन पर तहसीलदार/सिरोही ने विड्रोल किया था लेकिन अप्रार्थीगण ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया और आज तक अप्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 184 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

8100 हेक्टेयर मेसे 2184 वर्गमीटर भूमि पर आज भी पक्के मकान निर्मित होना पाये जाने व एक शराब की दूकान चालु होने की स्थिति मे अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार आवासीय भूमि रूपान्तरण नही करवाये जाने से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व आय से वंचित होना पड रहा है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य उक्त खसरा नंबर 814 रकबा 0.8100 हेक्टेयर मेसे 2184 वर्गमीटर भूमि पर पक्के मकान निर्माण करने व उक्त भूमि मे शराब की दूकान चालु होने से आवासीय रूपान्तरण करवाये बिना कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग कर अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य गैरकानूनी होने व अप्रार्थीगण द्वारा लापरवाही बरतने के साथ साथ राज्य सरकार को राजस्व हानि भी हो रही है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार/सिरोही का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार/सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा भूतगांव तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 111 खसरा नंबर 184 रकबा 0.8100 हेक्टेयर जो अप्रार्थीगण के खातेदारी की है उस मेसे अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अकृषि आवासीय व वाणिज्यिक उपयोग प्रयोजनार्थ 2184 वर्गमीटर कृषि भूमि को राजहित मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे सरकार के खाते मे दर्ज कर जमाबंदी की अपडेट प्रति इस न्यायालय को पेश करें । निर्णय आज राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र भूतगांव मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । इस निर्णय की प्रति तहसीलदार/सिरोही को वास्ते पालनार्थ भेजी जावें । निर्णय आज दिनांक 11–5–2018 को रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र भूतगांव मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

11/5/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 11–5–2018 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

11/5/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही